न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 03 / 2021

1. श्री रमेश भारती पुत्र श्री पूना भारती
2. श्रीमती शारदा पुत्री श्री पूना भारती
3. श्रीमती इन्द्रा पुत्री श्री पूना भारती
4. श्रीमती सीता पुत्री श्री पूना भारती

जाति गुसाई निवासीगण ग्राम गोला तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राज,)

..अपीलाण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. ग्राम पंचायत गोला पंचायत समिति पीसागंन जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन जिला अजमेर
3. श्रीमती भंवरी पत्नी श्री पूना भारती
4. श्री रतन पुत्र श्री पूना भारती
5. श्री दिनेश पुत्र श्री पूना भारती

क्रम संख्या 3 से 5 तक सभी जाति गुसाई निवासीगण ग्राम गोला तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 26.01.2001 ग्राम पंचायत गोला

उपस्थित :– श्री विजयप्रकाश कुमावत – अभिभाषक अपीलाण्ट

–: निर्णय :– दिनांक 23.03.2021

संक्षिप्त में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 26.01.2001 ग्राम पंचायत गोला का पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता पूना पुत्र धूकल जाति गुसाई के नाम ग्राम पृथ्वीराज खेडा तहसील पीसागंन जिला अजमेर में सम्वत 2041 में खाता संख्या नया 28 पुराना 118 के खसरा सख्या 1974, 2249, 2254 खातेदारी की आराजी है जिनके आधार नम्बर 601 , 913 बने। पूना पुत्र धूकल के फौत होने के पश्चात अपने वारिसानों में अपनी पत्नि भंवरी व तीन पुत्र रतन , रमेश , दिनेश व तीन पुत्रिंया शारदा, इन्द्रा , सीता ही विधिक वारीसान है। लेकिन ग्राम पंचायत गोला ने नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 26.01.2001 में अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट का नाम इन्द्राज किये बिना नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि अन्य खाता संख्या नया 47 पुराना 45 में अपीलाण्ट का नाम दर्ज है। अतः अपील स्वीकार फरमाकर नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 26.01.2001 ग्राम पंचायत गोला को निरस्त के आदेश पारित फरमावें।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेसपोडेण्टस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेण्टस संख्या संख्या 03 व 05 ने अपीलाण्ट के समर्थन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

में सहमति दी है तथा अन्य रेस्पोडेण्टस ने जवाब नहीं दिया जिससे उनका जवाब बंद किया जाता है।

मैने अपीलाण्ट अभिभाषक की एकपक्षिय बहस सुनी । दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है। अतः नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 26.01.2001 ग्राम पंचायत गोला को निरस्त किया जाकर तहसीलदार पीसांगन को निर्देशित किया जाता है कि वे वारिसों की जांच कर पुनः नामान्तकरण नियमानुसार दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)